

- जनपद के थाना कन्धई से उ०नि० इन्दरजीत सिंह मय हमराह द्वारा 01 अभियुक्त संदीप यादव उर्फ मलई पुत्र नानन्द बहादुर यादव नि० दुलापुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कन्धई के गहरीवक से 175 ग्राम अवैध घरस के साथ निरपत्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०- 106/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- जनपद के थाना अर्नू से उ०नि० अस्काक अहमद मय हमराह द्वारा 01 अभियुक्त संजय कुमार सिंह पुत्र मोती सिंह नि० गौरा जह थाना अर्नू जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अर्नू के गौराजह से 06 अदद देही बम के साथ निरपत्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०- 104/19 धारा 4/5 विस्कोटक अभियोग का अभियोग पंजीकृत किया गया।

07 वारंटी अभियुक्त निरपत्तार :-

- जनपद के थाना आसपुर देवसरा से उ०नि० सुरेश कुमार मय हमराह द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त संभाष पुत्र अमरनाथ कटाय नि० काशीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को मु०नं०- 1667/15 धारा 323, 504, 506, भादवि में निरपत्तार किया गया।

- जनपद के थाना माखाता से उदयप्रताप सिंह मय हमराह द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त मो० अहमद पुत्र नसीर नि० गजहडा थाना माखाता जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र माखाता के गजहडा से मु०नं०- 719/18 धारा एमवी एक्ट में निरपत्तार किया गया।

- जनपद के थाना पट्टी से सुरेश कुमार मय हमराह द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त 01. बृजेश कुमार पुत्र संतोष 02. सत्यम पुत्र मिठई लाल नि०गण अवराईन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को उपजिलाधिकारी पट्टी द्वारा 107/16 सीआरपीसी में जारी वारंट में जनपद प्रतापगढ़ पट्टी अभियुक्त 01. राम सानार यादव पुत्र स्व० कालीचरण 02. सूरज यादव पुत्र केशव प्रसाद 03. हिरा कुमार राम ककर नि०गण हड़ियाथारपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को उपजिलाधिकारी पट्टी द्वारा 107/16 सीआरपीसी में जारी वारंट में निरपत्तार किया गया है।

निरीक्षणक कायवाही (151 द०अ०सं०) पुलिस द्वारा 17 अभियुक्त निरपत्तार:-

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा आज निरीक्षणक कायवाही करने के उद्देश्य से कुल 17 थानास्थानों के विरुद्ध धारा 151 द०अ०सं० के अन्तर्गत थाना को०नगर से 02, थाना आसपुर देवसरा से 03, थाना फतनपुर से 07, थाना उदयपुर से 04 व थाना कण्डा से 01 अभियुक्त को मारपीट करने पर शान्तिमग की आशंका में निरपत्तार किया गया।